



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

फा.11077-4/2014- के.वि.सं.मु.(प्रशा.1)


दिनांक: 14/08.2014

कार्यालय आदेश

मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,के अनुमोदन से नीचे दिये गये केन्द्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली तुरंत प्रभाव से शुरू की जाती है। विद्यालय में सत्र 2014-15 में शुरू की जाने वाली कक्षाओं का व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	कक्षा (प्रत्येक कक्षा में केवल एक ही अनुभाग)
1.	बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश	I से V

स्टाफ स्वीकृति के बारे में शैक्षिक शाखा द्वारा आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं। शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जैसा कि इस कार्यालय के दिनांक 22.07.14 के कार्यालय आदेश द्वारा परिचालित की गई है, में कोई बदलाव नहीं होगा।


(डा. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं।
2. निजी सचिव, संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.सं।
3. निजी सचिव, उपसभापति के.वि.सं।
4. उप सचिव (यूटी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, आयुक्त, के.वि.सं।
6. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक)
7. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के.वि.सं. मुख्यालय को इस आशय से कि वे स्टाफ स्वीकृति के आदेश तुरंत जारी करें।
8. सहायक आयुक्त (प्रशासन/स्थापना-I, II, & III) को इस आशय से कि स्टाफ को नियमानुसार तैनात करें।
9. सहायक आयुक्त (ईडीपी) के.वि.सं. मुख्यालय को कि इसे के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. सभी अधिकारी/अनुभाग के.वि.सं. मुख्यालय।
11. उपायुक्त, के.वि.सं. सभी संभागीय कार्यालय।
12. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, के.वि. बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
13. प्राचार्य, के.वि. बुलन्दशहर को सूचनार्थ, प्रति कार्यालय आदेश दिनांक 22.07.2014 के साथ।
14. अध्यक्ष/सचिव, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
15. गार्ड फाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11077-1/2014- के.वि.सं.मु.(प्रशा.1)

दिनांक 08.07.2014

कार्यालय आदेश

मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, के अनुमोदन से नीचे दिये गये केन्द्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली तुरंत प्रभाव से शुरू की जाती है। विद्यालय में सत्र 2014-15 में शुरू की जाने वाली कक्षाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	कक्षा (प्रत्येक कक्षा में केवल एक ही अनुभाग)
1.	वी.एफ. जबलपुर	मध्य प्रदेश	I से V
2.	न.1 एस.टी.सी. जबलपुर	मध्य प्रदेश	I से V

स्टाफ स्वीकृति के बारे में शैक्षिक शाखा द्वारा आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं। शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जैसा कि इस कार्यालय के दिनांक 22.07.14 के कार्यालय आदेश द्वारा परिचालित की गई है, में कोई बदलाव नहीं होगा।

(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं।
2. निजी सचिव, संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.सं।
3. निजी सचिव, उपसभापति के.वि.सं।
4. उप सचिव (यूटी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, आयुक्त, के.वि.सं।
6. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक)
7. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के.वि.सं. मुख्यालय को इस आशय से कि वे स्टाफ स्वीकृति के आदेश तुरंत जारी करें।
8. सहायक आयुक्त (प्रशासन/स्थापना-I, II, & III) को इस आशय से कि स्टाफ को नियमानुसार तैनात करें।
9. सहायक आयुक्त (ईडीपी) के.वि.सं. मुख्यालय को कि इसे के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. सभी अधिकारी/अनुभाग के.वि.सं. मुख्यालय।
11. उपायुक्त, के.वि.सं. सभी संभागीय कार्यालय।
12. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, के.वि. वी.एफ. जबलपुर एवं न.1 एस.टी.सी. जबलपुर को सूचनार्थ,
13. प्राचार्य, के.वि. वी.एफ. जबलपुर एवं न.1 एस.टी.सी. जबलपुर को सूचनार्थ, प्रति कार्यालय आदेश दिनांक 22.07.2014 के साथ।
14. अध्यक्ष/सचिव, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
15. गार्ड फाइल।